

# उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

## लोक निर्माण विभाग

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग  
7वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग गौपेश्वर

### वनभूमि हस्तान्तरण पत्रावली

- परियोजना का नाम :- मा।मु.जी की घो. सं. 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-  
कुठेड़ा-देवशाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को  
लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।
- ग्राम :- देवशाल,  
राजस्व उप निरीक्षक :- गुप्तकाशी  
क्षेत्र :-  
तहसील :- ऊखीमठ  
जनपद :- रुद्रप्रयाग  
क्षेत्रफल :- 0.7875 है० राज्य भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु।  
0.0750 है० राज्य भूमि मक इम्पिंग हेतु।  
0.023 है० पंचायती वनभूमि मक इम्पिंग हेतु।  
कुल वनभूमि = 0.885 है०

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	5-3	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	5-6-9	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	10-16	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	18	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	21	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	2	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैंड शेड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-45	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	46-47A	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	45	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	48		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	49	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	50	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	51-52		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	53		
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	54-55	संलग्न है	
27	लागत लाभ विशलेषण (5 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे0 से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	56-60	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।

			है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	61-64	संलग्न है
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	65	संलग्न है
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	66	संलग्न है
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	67-68	संलग्न है
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	69	संलग्न है
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	70	संलग्न है
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	71	संलग्न है
38	लामान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	72	संलग्न है
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज-रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	73	संलग्न है
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षेत्रफल 1 हे० से कम है।
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	—	—
42	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	—
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	—
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	74-78	संलग्न नहीं है।
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षेत्रफल 1 हे० से कम है।
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	—	लागू नहीं है।
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	79-83	संलग्न है
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	84	संलग्न है
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	85	संलग्न है
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	86	संलग्न है
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	87	संलग्न है
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय रवीकृति। (यदि लागू हों)	—	संलग्न नहीं है लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है लागू नहीं है

## फैक्ट सीट

**परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।**

**2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)**

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	0.7875 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.0750 है० मक इम्पिंग हेतु = 0.8625 है०
वन पंचायत भूमि	0.023 है० मक इम्पिंग हेतु
नाप भूमि	0.7875 है० मोटर मार्ग हेतु
<b>योग</b>	<b>1.673</b>

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

5-प्रस्ताव बांडड़िंग किया गया है -

✓  हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

✓  हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

✓  हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

✓  हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

✓  हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

✓  हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

✓  हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

✓  हाँ/ नही

13 - संभरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। -

✓  हाँ/नहीं

14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

✓  हाँ/नहीं

15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

✓  हाँ/नहीं

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

✓  हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

✓  हाँ/नहीं

18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। -

✓  हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीड़ोर का हिस्सा है। -

✓  हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

✓  हाँ/नहीं

20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

✓  हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

✓  हाँ/नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

- 22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। -  हाँ/नहीं
- 23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। -  हाँ/नहीं
- 24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -  हाँ/नहीं
- 25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूरण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। -  हाँ/नहीं
- 27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
- 28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है  
(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)  हाँ/नहीं
- 29-मानचित्र व वार्वार्ट में एकरूपता है  हाँ/नहीं
- 30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है  हाँ/नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है  हाँ/नहीं
- 31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है  हाँ/नहीं
- 32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं-  हाँ/नहीं
- 33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-  हाँ/नहीं
- 34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-  हाँ/नहीं
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-  हाँ/नहीं
- 36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-  हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं


  
करिष्ठा अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

  
अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

  
वनक्षेत्राधिकारी  
Unit Officer  
Guptkashi Unit, Guptkashi  
Rudraprayag Forest Division

  
उपप्रशासकीय वनीकरण अधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

  
उपप्रशासकीय वनीकरण अधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

## प्रतिवेदन

पृष्ठ संख्या ( )  
5-A

परियोजना का नाम:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2724 / III (2) / 15-05 (मा०मु०घो०) /2015 दि० 24-04-2015 के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 2.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसकी धनराशी रू० 17.84 लाख है। उक्त मार्ग के संभरण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।


क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक इम्पिंग हेतु	1125	7	0.7875 → 0.075
3	वन पंचायत भूमि मक इम्पिंग हेतु			→ 0.023
	वनभूमि का योग:-	1125	-	0.885
4	नाप भूमि	875	9	0.7875
	कुल योग:-	2000	-	1.673

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

  
अमीन  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)



(Manoj Das)  
Executive Engineer,  
C.D, P.W.D. Ukhimath



P.C Attested

**प्रपत्र-2**  
**परिशिष्ट**  
(देखिए नियम -6)  
फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म  
भाग-1  
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

**परियोजना विवरण**

- (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।
- (ii) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। :- संलग्न
- (iii) परियोजना लागत। :- ₹० 18.16 लाख
- (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :- प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या) के अनुसार
- (v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। :- लागू नहीं है।
- (vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :- 2197 मानव दिवस  $(18.16 \times 0.4 \div 330.8 \times 10^6)$
- 2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। :- प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 33) के अनुसार
- 3- परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। :- लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।
- (i) परिवारों की संख्या। :- शून्य
- (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। :- शून्य
- (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। :- नही
- 4- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) :- संलग्न
- 5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) :-
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा। :- विषय सूची के अनुसार संलग्न हैं

तिथि 17/02/2020

स्थान अलीशर

  
(श० मनीज दास)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

**प्रपत्र-3**  
**भाग-2**

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

7. प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....  
परियोजना/स्कीम का स्थान

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र।  
(ii) जिला  
(iii) वन प्रभाग  
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टे.में)  
(v) वन की कानूनी स्थिति  
(vi) हरियाली का घनत्व  
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किए जाए।  
(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।  
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी  
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)  
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।  
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्ततीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।  
8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।  
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।  
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा  
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक  
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

:- मा०मु०जी की घो० सं० 553/2015 के अन्तर्गत नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

:- उत्तरखण्ड

:- रुद्रप्रयाग

:- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

:- 0.885 है.

:- राज्यभूमि / पंचायती वन भूमि

:- 20-30%

:- सूची संलग्न है।

:- भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।

:- 1.50km.

:- नहीं

:- नहीं

:- नहीं

:- प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है।

:- मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है अतः कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

:- संलग्न

:- संलग्न

:- संलग्न

- सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रॉपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। :- संलग्न
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। :- संलग्न
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) :- संलग्न
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- संलग्न
12. प्रभाग / जिला प्रोफाइल
- (i) जिले का वन क्षेत्र :-
- (ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- 193 case, 703.727 hae.
- (iii) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण :- 1490.704 hae.
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- X
- (ख) वनेत्तर भूमि पर :-
- (अ) ..... 2019 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-
- (क) वन भूमि पर :-
- (ख) वनेत्तर भूमि पर :-
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। :- परियोजना विकास कार्य से सम्बन्धित है. सिफारिश की जाती है.

दिनांक :-  
स्थान:-

वन क्षेत्राधिकारी  
Unit Officer  
Guptkashi Unit, Guptkashi  
Rudraprayag Forest Division

उप वन संरक्षक  
प्रभाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-  
 इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है  
 14. (हां/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए  
 गए प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न  
 करें।  
 क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना :-  
 15. और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।  
 16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित :-  
 वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष  
 सिफारिशें।

हस्ताक्षर

दिनांक:-  
 स्थान:-

नाम:-  
 सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या :-  
 अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय  
 और निर्दिष्ट सिफारिशें।  
 (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप :-  
 वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट  
 समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।)

हस्ताक्षर

दिनांक:-  
 स्थान:-

नाम:-  
 सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश। :-

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग PT में :-  
किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई  
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

दिनांक:-  
स्थान:-

हस्ताक्षर

नाम:-  
सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)